संदर्भ. सं.राबैं.डॉर/371/ए-1.जेन/2023-24 दिनांक 13 जून 2023

परिपत्र सं.राबैं/102 /डॉर - 14 /2023

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी लघु वित्त बैंक

महोदय

<u>नाबार्ड द्वारा लघु वित्त बैंकों को अल्पावधि पुनर्वित्त देने का प्रावधान – वर्ष 2023-24 के लिए नीति</u>

कृपया दिनांक 30 मई 2022 का हमारा परिपत्र संख्या. 119/डॉर-42/2022 देखें जिसके अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त नीति जारी की गई थी. यह निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2023-24 के लिए भी कुछ संशोधनों सहित इसी नीति का व्यापक रूप से पालन किया जाएगा.

2. नाबार्ड अधिनियम 1981 की धारा 21(4) के साथ पठित धारा 21(1) के अंतर्गत नाबार्ड, लघु वित्त बैंकों को अल्पावधि ऋणों हेतु अधिकतम 12 माह की अवधि के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करेगा. यह पुनर्वित्त सहायता, आवेदन की तिथि की स्थिति में बैंक की बहियों में बकाया राशि और उनके द्वारा संवितरित पात्र अल्पावधि ऋणों के 80% तक सीमित होगी. अल्पावधि पुनर्वित्त हेतु न्यूनतम लॉक-इन अवधि 30 दिवस की होगी जिसके पश्चात बिना किसी दंड प्रभार के चुकौती की जा सकती है.

3. अल्पावधि पुनर्वित्त हेतु पात्र उद्देश्यों में कृषि और अनुषंगी क्षेत्रों, कृषितर क्षेत्र जिसमें कारीगर, बुनकर, हस्तशिल्प, कृषि उत्पादों का विपणन, कृषि निविष्टियों, कृषितर उत्पादों का विपणन, वास्तविक व्यापारिक गतिविधियाँ इत्यादि हेतु अल्पावधि/ कार्यशील पूंजीगत ऋण शामिल होंगे.

4. अल्पावधि पुनर्वित्त के शासी मानदंड और पात्रता मानदंड अनुबंध-I में दिए गए हैं.

5. अल्पावधि पुनर्वित्त के लिए लघु वित्त बैंक संलग्न (अनुबंध-II) प्रारूप के अनुसार अपने आवेदन नाबार्ड प्रधान कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें और साथ ही उसकी एक प्रति नाबार्ड के उस क्षेत्रीय कार्यालय को भी पृष्ठांकित करें जिस राज्य में लघु वित्त बैंक का प्रधान कार्यालय स्थित है.

6. कृपया इस परिपत्र की पावती दें.

भवदीय

(वी के सिन्हा)
मुख्य महाप्रबंधक

संलग्न : 09 पृष्ठ

पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट क्र सी-24, 'जी' ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. टेली: +91 22 26539325 • फ़ैक्स: +91 22 26530090 • ई मेल: dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051 • Tel.: +91 22 26539325• Fax: +91 22 26530090• E-mail: dor@nabard.org

अनुबंध - I

अल्पावधि पुनर्वित्त के लिए सामान्य नियम और शर्तें - लघु वित्त बैंक/

1. प्रस्तावना

नाबार्ड अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के साथ पठित धारा 21(4) के प्रावधानों के अंतर्गत नाबार्ड अनुमोदित वित्तीय संस्थानों द्वारा आधार स्तर पर अल्पावधि ऋण प्रदान करने हेतु उनके संसाधनों की अनुपूर्ति करने के लिए अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करता आया है. अब लघु वित्त बैंकों को इस सुविधा के अंतर्गत पुनर्वित्त प्राप्त करने हेतु एक पात्र वित्तीय संस्था बनाया गया है.

2. उद्देश्य

अल्पावधि पुनर्वित्त प्रदान करने का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए समय पर पर्याप्त ऋण प्रदान करना है:

- कृषि परिचालनों या फसलों का विपणन, अथवा
- कृषि या ग्रामीण विकास के लिए आवश्यक निविष्टियों का विपणन और वितरण, अथवा
- कृषि या ग्रामीण विकास के क्षेत्र में या उसके संवर्धन के लिए कोई अन्य गतिविधि, अथवा
- वास्तविक वाणिज्यिक या व्यापारिक लेनदेन, अथवा
- कारीगरों, या छोटे पैमाने वाले उद्योगों, सूक्ष्म और विकेंद्रित क्षेत्र में उद्योगों, कुटीर और ग्रामोद्योगों, अथवा हस्तशिल्पों और अन्य ग्रामीण शिल्प के क्षेत्र में लगे हुए कारीगरों के उत्पादन या विपणन गतिविधियां

3. सहायता का स्वरूप

लघुवित्त बैंकों को पुनर्वित्त सहायता उपर्युक्त विभिन्न उद्देश्यों हेतु उनके संवितरणों के समक्ष प्रदान की जाती है. बैंकों से यह अपेक्षित है कि ऋण लेने वाली इकाई की कार्यशील पूंजी/ अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं का मूल्यांकन वास्तविक रूप में करें. लघुवित्त बैंक आहरण आवेदन के आधार पर नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त कर सकते हैं जिसमें विभिन्न उद्देश्यों जिनके लिए पुनर्वित्त का दावा किया गया हो और संवितरित की गई ऋण राशि का विवरण दिया हो.

4. पात्रता मानदंड

4.1 पुनर्वित्त के आहरण हेतु पात्रता मानदंडों की समीक्षा समय समय पर की जाती है. वर्तमान में निर्धारित पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

क) न्यूनतम 15% सीआरएआर मानदंड का अनुपालन करना (भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित).

ख) निवल अनर्जक आस्तियां (एनपीए), बकाया ऋण और अग्रिमों के 5% से अधिक न हो. निवल अनर्जक आस्तियों की स्थिति की गणना समग्र रूप से बैंक के लिए की जाएगी.

ग) बैंक निवल लाभ में होना चाहिए.

4.2 **पात्रता मानदंड और जोखिम मूल्यांकन**

01 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 के दौरान पात्रता मानदंड और जोखिम मूल्यांकन 31.03.2022 या 31.03.2023 (यदि 31.03.2023 को लेखापरीक्षित स्थिति उपलब्ध हो) की स्थिति में उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होंगे. 01 जुलाई 2023 से लेकर 31 मार्च 2024 तक यह 31 मार्च 2023 की स्थिति में उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति पर आधारित होंगे. 01 जुलाई 2023 को या उसके बाद मंजूरियों और आहरणों की अनुमति केवल उन्हीं बैंकों को दी जाएगी जिन्होंने लेखापरीक्षा पूरी कर ली हो.

4.3 वर्ष 2023-24 के दौरान वित्तीय मानदंडों में हुए किसी भी परिवर्तन पर विचार नवीनतम उपलब्ध तिमाही वित्तीय परिणाम/ सनदी लेखाकार द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर किया जाएगा.

5. पात्र उद्देश्य

मंजूर किए जाने वाले अल्पावधि पुनर्वित्त के उद्देश्यों में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों, कारीगरों, बुनकरों, हस्तशिल्पों, कृषि उत्पादों के विपणन, कृषि निविष्टियों, कृषीतर उत्पादों, वास्तविक व्यापारिक गतिविधियों, इत्यादि सहित कृषीतर क्षेत्र के लिए अल्पावधि/ कार्यशील पूंजीगत ऋण शामिल होंगे. पुनर्वित्त के लिए पात्र ऋण 12 माह तक की अवधि के लिए दिया जाना चाहिए और आहरण के आवेदन-पत्र की तिथि की स्थिति में उस ऋण को बैंक की बहियों में बकाया होना चाहिए तथा उसे अनतिदेय और भार-रहित होना चाहिए.

6. नाबार्ड से पुनर्वित्त की प्रमात्रा

नाबार्ड आवेदन की तिथि की स्थिति में बकाया पात्र अल्पावधि ऋणों के समक्ष **80%** तक पुनर्वित्त प्रदान करेगा.

7. प्रतिभूति

पुनर्वित्त या किसी अन्य माध्यम से लिए गए ऋण और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति, नाबार्ड द्वारा सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए)/ मंजूरी पत्र(त्रों) में विनिर्दिष्ट की जाएंगी. इसके अलावा, लघुवित्त बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक, जहां उसका चालू खाता बनाया गया है, से नाबार्ड के पक्ष में एक विधिवत अधिदेश प्रस्तुत करना होगा. इसके अतिरिक्त, लघुवित्त बैंक को नाबार्ड के पक्ष में एक माँग वचन-पत्र निष्पादित करना होगा.

8. चुकौती अवधि

संवितरित किए गए अल्पावधि ऋण संवितरण की तिथि से 12 माह के भीतर चुकौती-योग्य हैं. ब्याज प्रति वर्ष तिमाही अंतरालों पर 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्तूबर और 1 जनवरी अथवा मूलधन की सम्पूर्ण राशि की चुकौती पर देय होगा.

NABARD

9. ब्याज दर

9.1 पुनर्वित्त पर ब्याज: पुनर्वित्त पर ब्याज दरों और जोखिम प्रीमियम का निर्धारण नाबार्ड द्वारा मौजूदा बाजार दर, जोखिम बोध इत्यादि के आधार पर किया जाएगा और यह समय समय पर संशोधन के अधीन है.

9.2 दण्डात्मक ब्याज: चूक की स्थिति में, पुनर्वित्त जिस ब्याज दर पर संवितरित किया गया था, उससे 2% प्रति वर्ष अधिक ब्याज दर, चूक की राशि पर और चूक के जारी रहने की अवधि के लिए बतौर दंड प्रभारित किया जाएगा. दण्डात्मक ब्याज दर समय समय पर संशोधन के अधीन है.

9.3 पुनर्वित्त की पूर्व-चुकौती पर दंड: अल्पावधि पुनर्वित्त की न्यूनतम लॉक-इन अवधि 30 दिन की होगी और यदि इस अवधि में पुनर्वित्त की पूर्व-चुकौती की जाती है, तो पूर्व-चुकौती दंड प्रभारित किया जाएगा. पूर्व-चुकौती का भुगतान केवल 3 कार्य-दिवस के न्यूनतम नोटिस के बाद ही किया जा सकता है.

10. परिचालनात्मक अनुशासन

10.1 अनतिदेय सुरक्षा (एनओडीसी)

क. अल्पावधि सीमा के लिए पुनर्वित्त के आहरण की अनुमति केवल पात्र उद्देश्यों के उन अल्पावधि ऋण संविभागों के समक्ष दी जाएगी जो भार-रहित और अनतिदेय हैं. लघुवित्त बैंक कृषि और कृषीतर क्षेत्र की कुल अनतिदेय सुरक्षा (एनओडीसी) पर, अर्थात् क्षेत्र के सभी उद्देश्यों को एक साथ शामिल करके, आहरण कर सकते हैं.

लघुवित्त बैंकों को ऋण सीमा पर आहरण की अनुमति कुल अनतिदेय सुरक्षा की उपलब्धता के अधीन होगी. इस उद्देश्य के लिए, लघुवित्त बैंकों को मासिक अनतिदेय सुरक्षा विवरणी की एक प्रति नाबार्ड के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को पृष्ठांकित करते हुए प्रधान कार्यालय को अनुवर्ती माह की 20वीं तिथि तक भौतिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी जिसमें ऋण के उद्देश्य निर्धारित प्रारूप (अनुबंध IV या समय समय पर संशोधित) में इंगित किए गए हों. प्रत्येक आहरण के समय बैंक को आहरण की तिथि पर कुल अनतिदेय सुरक्षा की उपलब्धता के संदर्भ में एक प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा. इसके अलावा, यह सुनिश्चित किया जाए कि कुल बकाया, कुल उपलब्ध अनतिदेय सुरक्षा से अधिक न हो.

10.2 अनतिदेय सुरक्षा में कमी पर अतिरिक्त ब्याज: अनतिदेय सुरक्षा में कमी के मामले में, लघुवित्त बैंक को अनतिदेय सुरक्षा में कमी को पूरा करना होगा. यदि लघुवित्त बैंक ऐसी कमी को घटित होने की तिथि से एक माह के भीतर पूरा करने में असफल रहता है, तब 1% प्रति वर्ष का अतिरिक्त ब्याज अनतिदेय सुरक्षा में कमी की राशि पर कमी के जारी रहने की अवधि अर्थात् उस तिथि तक जब कमी की राशि को नियमित कर दिया गया हो, तक प्रभारित किया जाएगा.

10.3 बकाया ऋण पर मूलधन और ब्याज का विभाजन: पहले की तरह, लघुवित्त बैंक नाबार्ड से पुनर्वित्त सहायता हेतु पात्रता निर्धारण हेतु अपने आहरण आवेदनों में बकाया राशि से ब्याज घटक (अतिदेय ब्याज सहित) को शामिल न करें और मूल ऋणराशियों को अलग से रिपोर्ट करें.
इसके अलावा, पहले की तरह ही तिमाही अनतिदेय सुरक्षा विवरण में ऋण के केवल मुख्य अंशों (जारी किए गए, वसूल किए गए, बकाया और अतिदेय) को ही रिपोर्ट करें.

10.4 अतिरिक्त आहरण

ऋण संवितरण के या अनतिदेय सुरक्षा के बारे में गलत आंकड़े प्रस्तुत करके पुनर्वित्त की अनुमेय प्रमात्रा से अधिक आहरण प्राप्त करने के मामलों को नाबार्ड गंभीरता से विचार करेगा और बैंक द्वारा इस प्रकार प्राप्त किए गए अतिरिक्त पुनर्वित्त को 1% प्रति वर्ष के दण्डात्मक ब्याज सहित 3 दिनों के भीतर वसूल करेगा.

11. चूकों का समाशोधन

जो लघुवित्त बैंक नाबार्ड के साथ निर्धारित देय तिथियों पर मूलधन, ब्याज का भुगतान और/ या अन्य किसी देय की चुकौती की अपने प्रतिबद्धताओं का पालन करने में विफल होते हैं, वे उस चूक को सुधारने की तिथि तक नाबार्ड से किसी भी पुनर्वित्त सुविधा के लिए पात्र **नहीं** होंगे.

12. अनुप्रवर्तन

पुनर्वित्त के नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड को मौके पर ही सत्यापन/जाँच करने का अधिकार होगा.

13. निरीक्षण का अधिकार

नाबार्ड लघुवित्त बैंक के बही-खातों का निरीक्षण करने/करवाने का अधिकार सुरक्षित रखता है.

14. विशेष लेखापरीक्षण करवाने का अधिकार

नाबार्ड के पास स्वयं या अन्य एजेंसियों के माध्यम से लघु वित्त बैंक के खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री की विशेष लेखा परीक्षा कराने का अधिकार होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बैंक द्वारा खातों और अन्य प्रासंगिक सामग्री को नियम और विनियमों के अनुसार बनाए रखा जाता है और पुनर्वित्त के नियमों और शर्तों का पालन किया जाता है.

****

अनुबंध II

वर्ष 20.....20..... के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत अल्पावधि पुनर्वित्त हेतु आवेदन

मुख्य महाप्रबंधक/ प्रभारी अधिकारी
राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

महोदय

वर्ष 20.....20..... हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त की मंजूरी और राशि जारी करने हेतु आवेदन

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 21(1) के साथ पठित धारा 21(4) के अंतर्गत प्रासंगिक उद्देश्यों हेतु वर्ष 20.....20..... (अप्रैल-मार्च) के दौरान संवितरित ऋण और अग्रिमों के समक्ष ₹ लाख (रुपए लाख मात्र) की मंजूरी और राशि जारी करने हेतु नीचे दिए गए विवरण के अनुसार हम एतदद्वारा आवेदन करते हैं. लघुवित्त बैंकों की आपकी पुनर्वित्त योजना के समय-समय पर यथानिर्दिष्ट नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु हम सहमत हैं.

क्रम. सं.	गतिविधि	अधिकतम ऋण अवधि/	राशि (लाख रुपए में)
i.			
ii.			
iii.			
iv.			
v.			
	कुल		

2. हम आधार स्तर पर वित्तपोषण और पुनर्वित्त हेतु नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित सभी नियमों और शर्तों का पालन करने हेतु सहमत हैं.

3. हम पुनर्वित्त की राशि जारी होने की तिथि से 12 माह के भीतर उसकी चुकौती के लिए सहमत हैं.

4. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उधारकर्ताओं को भुगतान इलेक्ट्रौनिक माध्यम से किया जाता है. इसके अलावा, चेक केवल उन्हीं बैंकों को जारी किए जाते हैं जो एनईएफ़टी/ आरटीजीएस मोड पर उपलब्ध नहीं हैं.

5. हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप पुनर्वित्त की राशि .... बैंक की .... शाखा (आईएफ़एससी सं. .... एमआईसीआर कोड सं. ....) में हमारे खाता सं. .... में जारी करें.

6. उपर्युक्त खाते में राशि जमा करने में, किसी भी त्रुटि के लिए हम उत्तरदायी होंगे.

7. हम नाबार्ड की माँग के अनुसार राशि की चुकौती नाबार्ड के खाते में इलेक्ट्रौनिक माध्यम से करने का वचन देते हैं.

8. हम प्रमाणित करते हैं कि ऋणराशि पर प्रभारित ब्याज दरें भारतीय रिजर्व बैंक/ नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के अनुरूप ही हैं.

.

9. हम सहमत हैं कि हमारे और हमारे घटकों के अभिलेखों की जाँच के पश्चात यदि नाबार्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जिन खातों के समक्ष बैंक ऋण का संवितरण करता है, उन खातों का नाबार्ड द्वारा समय-समय पर निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप न पाए जाने पर नाबार्ड को सामान्य पुनर्वित्त करार के अनुरूप ऐसे खातों के संबंध में जारी पुनर्वित्त की संपूर्ण राशि वापस लेने का अधिकार होगा.

.

10. निम्नलिखित प्रलेख, वित्तीय विवरण और अन्य विवरण यहां प्रस्तुत किए गए हैं.

.

i. वार्षिक रिपोर्ट 20.......-20......./ 31 मार्च 20....... की स्थिति में तुलन-पत्र.

ii. आवेदन जमा करने की तिथि के पूर्ववर्ती अंतिम शुक्रवार तक या माह के अंत तक का तलपट.

.

iii. नाबार्ड से निर्धारित प्रारूप में वित्तीय निभाव प्राप्त करने हेतु बैंक के अधिकारियों को अधिकृत करने के लिए निदेशक मंडल के द्वारा पारित संकल्प की प्रमाणित प्रति. (अनुबंध ।।। में दिए गए प्रारूप के अनुसार)

भवदीय

वित्तपोषक बैंक के लिए और उसकी ओर से

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर और पदनाम

संलग्नक:

तिथि और स्थान:

अनुबंध III

अल्पावधि (अन्य) – लघु वित्त बैंक

मंडल के संकल्प का प्रारूप

.... बैंक के निदेशक मंडल द्वारा दिनांक .... को बैठक में पारित संकल्प की प्रति

यह संकल्प लिया गया कि बैंक, दिनांक ________ को जारी नाबार्ड के परिपत्र संख्या __________ में निहित लघुवित्त बैंकों हेतु अल्पावधि पुनर्वित्त योजना के प्रावधानों के अनुसरण में और उसके अनुसार नाबार्ड द्वारा समय समय पर जारी किए गए अन्य दिशानिर्देशों के अधीन पात्र गतिविधियों के वित्तपोषण हेतु राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण और अग्रिम प्राप्त करेगा.

आगे यह संकल्प लिया गया कि जब तक और अन्यथा निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत न किया जाए, तब तक अल्पावधि पुनर्वित्त योजना के अंतर्गत नाबार्ड को बकाया ऋणों की मूलराशि किसी भी समय पर ₹____________ (_________________________ रुपए) की राशि से अधिक नहीं होगी.

आगे यह संकल्प लिया गया कि उक्त योजना के अंतर्गत नाबार्ड से उधार लेने की शक्ति एतदद्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को संयुक्त रूप से और/ या अलग-अलग रूप से प्रत्यायोजित की गई है.

....

....

नाम और पद

आगे संकल्प लिया गया कि उपर्युक्त अधिकारियों को नाबार्ड के पक्ष में वचन पत्र, समझौते, घोषणाएं, गारंटी या सुरक्षा विलेखों, हमारे बैंक के चालू खाते को नामे करने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक को प्राधिकृत करने वाले जारी किए गए अधिदेश, उसके साथ किए गए समझौते के अनुपालन में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा सूचित किए गए और ऐसे अन्य दस्तावेज जो नाबार्ड द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत ऋण के संबंध में यथावश्यक हों और आम तौर पर बैंक द्वारा अथवा बैंक की ओर से किए जाने वाले ऐसे अन्य कार्यों, विलेखों और अन्य दस्तावेज़ों को निष्पादित करने के लिए संयुक्त रूप से और/या अलग-अलग प्राधिकृत किया गया है जो उक्त योजना के संबंध में नाबार्ड द्वारा आवश्यक हों.

/प्रमाणित सत्यप्रति/

प्राधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर
नाम और पद

एसएफ़बी की मुहर

वचन-पत्र का प्रोफॉर्मा

लघुवित्त बैंक द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के पक्ष में निष्पादित माँग वचन-पत्र

₹ ________________________ स्थान:

दिनांक:

______________________________________ लघु वित्त बैंक यह वचन देता है कि वह राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा माँग किए जाने पर __% प्रतिवर्ष या नाबार्ड द्वारा यथानिर्धारित दर से लागू ब्याज सहित ₹___________________ (_______________________________ रुपए मात्र) की राशि अदा करेगा अथवा अदा करने का आदेश देगा. प्राप्त मूल्य के लिए यह भुगतान तिमाही अंतराल पर 01 जुलाई/ 01 अक्तूबर/ 01 जनवरी/ 01 अप्रैल पर किया/करवाया जाएगा.

_____________ पर _____________________ तिथि के ___________ दिन ________ 20 ________

_________________________ के लिए और उसकी ओर से

लघुवित्त बैंक

बैंक का मुहर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता

****

अनुबंध/Annexure IV

मासिक एनओडीसी/NODC for the month :

बैंक का नाम / Name of the Bank :

प्रयोजन/ Purpose	उप-प्रयोजन/ Sub-Purpose	माह के अंत में नाबार्ड से लिए गए उधार का बकाया/ O/s borrowing from NABARD	माह के अंत में मुद्रा/अन्य वित्तीय/संस्थाओं से लिए गए उधार का बकाया/ O/s borrowing from	माह के दौरान संवितरित ऋणों की राशि/ Amt. of Loans disb during the month	केवल मूलधन/PRINCIPAL ONLY माह के दौरान की गई वसूलियाँ/ Recoveries made during the month	केवल मूलधन/PRINCIPAL ONLY माह के दौरान बकाया ऋण/ Loans o/s at the end of the month	केवल मूलधन/PRINCIPAL ONLY उनमें से अतिदेय/ of which overdues	माह के अंत में एनओडीसी/NODC at the end of the month	नाबार्ड से लिए गए उधार पर एनओडीसी/NODC for borrowing from NABARD	बैंक का अपना अंशदान/ Banks' own involvement
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(7-8)	10=[9-(3+4)]	11=[7-(3+4)]
अल्पावधि-कृषि क्षेत्र ST-Farm Sector										
	उप-जोड़/Sub-Total									
अल्पावधि कृषीतर क्षेत्र / ST-Non Farm										
	उप-जोड़/ Sub-Total									

Signature with Seal of the Authorised Official of the Bank